चेंजिंग वेज

Changing Ways

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

(साप्ताहिक)

❑ वर्ष 01 ❑ अंक 26 ❑ पृष्ठ : 04 ❑ मूल्य : 4 रुपये धर्मशाला, 05 सितंबर, 2016 हर सोमवार को प्रकाशित

मजीठिया वेजबोर्ड

अखबार कर्मियों के उत्पीड़न और संघर्ष की गाथा

देश-विदेश की कई घटनाओं व समस्याओं पर आवाज बुलंद करने वाले मीडिया कर्मियों के खिलाफ पिछले 2 साल से एक ऐसी घटना घटित हो रही है, जिसकी आवाज तक नहीं उठ पा रही है। यह घटना है प्रिंट मीडिया के कर्मियों के लिए घोषित मजीठिया वेज बोर्ड को सर्वोच्च अदालत के आदेशों के बावजूद लागू न किया जाना। इससे भी बड़ी घटना यह तब बन चुकी है, जबकि अपना हक मांगने वाले सैकड़ों पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मियों को अखबार मालिकों व उनके इशारों पर नाचने वाले प्रबंधन का शिकार होकर नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

हालात ऐसे हैं कि मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर अखबारों के दफ्तरों में अघोषित इमरजेंसी लागू है। जिस किसी ने भी बढ़े हुए वेतन और इससे भी ज्यादा अपने एरियर की मांग की उसे या तो नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर कई तरह से दबाव डालकर उसका मुंह बंद कर दिया गया।

ऐसी घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। देश के इक्का-दुक्का अखबारों को छोड़ अधिकतर बड़े अखबार समूहों ने अपने कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड नहीं दिया है। केंद्र सरकार इस वेज बोर्ड को 11 नवंबर, 2011 से अधिसूचित कर चुकी है। इसकी अधिसूचना जारी होते ही अखबार मालिक अपनी पुरानी रणनीति के तहत वेजबोर्ड को टालने के लिए कोर्ट चले गए। उन्होंने एक साथ हाथ मिलाकर माननीय सर्वोच्च अदालत में सीडब्ल्यूपी नंबर 246/2011 के तहत वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, 1955 के तहत गठित होने वाले वेजबोर्ड की वैधानिकता को चुनौती दी और मजीठिया वेजबोर्ड को सिफारिशों को निजी उद्योगों की विजनेस करने के संवैधिनक अधिकारों में बाधा करार देते हुए वेजबोर्ड को ही समाप्त करने की अपील की। इस बार भी वही दलीलें दी गईं, जो हर बार वेजबोर्ड के लागू होने के बाद दायर की जाने वाली याचिकाओं में दी जाती रही थीं। देश के बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा करके हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, मगर नतीजा पत्रकारों व गैर पत्रकार कर्मचारियों के हक में आया।

सुप्रीम कोर्ट बोला अखबार कर्मियों को वेजबोर्ड जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने 07 फरवरी, 2014 को दिए गए अपने फैसले में न केवल मालिकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, बल्कि मजीठिया वेज बोर्ड को अखबारों में काम करने वाले पत्रकार व गैरपत्रकार कर्मचारियों के हित में बताया। कोर्ट ने उन दलीलों को दरकिनार कर दिया था, जिसमें कहा गया कि निजी क्षेत्र में जहां सारे वेजबोर्ड समाप्त कर दिए गए हैं, तो अखबारों के लिए ही ऐसा क्यों किया गया है। इस पर कोर्ट ने अखबारों में तैनात पत्रकारों को बाकी कर्मियों से अलग मानते हुए उन्हें समाज को दिशादशा देने वाले बुद्धिजीवी माना और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले वेतनमान के निर्धारण को उचित माना। वहीं गैर पत्रकार कर्मियों को देर रात तक अखबार प्रकाशित करने के विशेष कार्य से जुड़े होने के लिए बाकी फैक्ट्री कर्मियों से कहीं अधिक जिम्मेदार बताया। अदालत ने अखबार मालिकों की याचिकाओं को रद करते हुए एक साल के भीतर मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही चार किस्तों में बकाया एरियर भी देने के आदेश पारित किए।

नतीजा

कोर्ट में हारकर नई चाल चल गए मालिक

धन-बल के जरिये वेज बोर्ड को निरस्त करवाने में असफल अखबारों के पूंजीपति मालिकों ने अब नई चाल चल दी। उन्होंने ना केवल सीधे अदालत के आदेशों की अवहेलना करके अदालत को अवमानना की, बल्कि अदालत के फैसले के दम पर अपना हक मांगने वाले कर्मचारियों के दमन की कोशिशें भी तेज कर दीं। कई संस्थानों में छंटनी व तबादलों का दौर शुरू हुआ। कई सालों से इस व्यवसाय में कार्यरत कर्मियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यहां तक कि कईयों से जबरन इस्तीफे भी साइन करवाए गए। जो नौकरी नहीं खोना चाहते थे, उनसे वेज बोर्ड न लेने के जबरन इलफनामे लिखवा लिए गए। कुल मिलाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती देने वाले प्रिंट मीडिया कर्मियों को बुरी तरह कुचल कर रख दिया गया।

सोशल मीडिया ने दिया साथ बाकियों ने काटी कन्नी

***सभी अखबार** मालिक एक हो गए और इतने बड़े पैमाने पर हजारों कर्मचारियों कुचलने व उनके हक को मारने के इस अभियान को खबर तक नहीं बनने दिया गया। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिये ही ये बातें सामने आईं। इसमें जनसत्ता एक्सप्रेस व भड़ास4मीडिया जैसी पत्रकारों की खबरें देने वाली साइटों ने अहम भूमिका निभाई। वेजबोर्ड के दायरे में न आने वाले इलेक्ट्रानिक मीडिया को तो जैसे सांप सूंघ गया। 24 घंटे चिल्लाने वाले चैनलों ने मजीठिया उत्पीड़न पर चुप्पी साधे रहे। मुनाफे तक सीमित पूंजीपतियों का मीडिया पर कब्जा इसकी बड़ी वजह थी। हालांकि मजीठिया वेज बोर्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया में लागू नहीं होता फिर भी इसको लेकर किसी खबरिया चैनल ने एक खबर तक नहीं चलाई। और न ही मजीठिया वेज बोर्ड और इसको लेकर पत्रकारों व गैर पत्रकारों के उत्पीड़न से संबंधित एक भी बहस करवाना गवारा समझा। देश के मीडिया इतिहास में इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रानिक मीडिया*

■ शेष पृष्ठ 3 पर

सैकड़ों पत्रकारों ने लगाए अवमानना केस

मौजूदा हालात की बात करें तो इस समय देश के सैकड़ों पत्रकार अपने हक के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया मामले में आदेश न मानने पर कई अखबारों के खिलाफ अदालत की अवमानना के दर्जनों मुकदमे दायर किए गए हैं। पहली अवमानना याचिका 2014 में फाइल की गई। सिविल कंटेप्ट पेटिशन नंबर 411/2014 और इससे संबद्ध की गई बाकी याचिकाओं पर सुनवाई अब अंतिम दौर में है। कोर्ट ने सभी राज्यों के श्रम विभाग को मजीठिया वेजबोर्ड लागू करवाने के कड़े आदेश दे

■ शेष पृष्ठ 3 पर

दोगुने से ज्यादा बढ़ेगा वेतन

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के तहत अखबारों व न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों व गैर पत्रकार कर्मियों का वेतन लगभग दोगुने से ज्यादा किया गया है। इतना कि वे सम्मान से भरण-पोषण कर सकें। इससे पहले जितने भी वेज बोर्ड आए हैं, उनकी तुलना में मजीठिया वेज बोर्ड ने प्रिंट मीडिया के कर्मियों के लिए ऐसी वेतन प्रणाली लागू की है, जो सही मायने में इस इंडस्ट्री के शोषित कर्मियों को सम्मानजनक आर्थिक स्थिति

■ शेष पृष्ठ 3 पर

श्रम निरीक्षकों तक को नहीं है जानकारी

हैरानी की बात है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर इम्पलाइज एक्ट, 1955 की धारा 17डी के तहत श्रम निरीक्षकों को इसकी शिकायतों का निपटारा करने की शक्तियां दी गई हैं। केंद्र के इस कानून को लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों के श्रम विभाग का है। ऐसे में राज्यों के श्रम विभाग ही इस वेज बोर्ड के तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। केंद्र ने वेज बोर्ड बनाकर इसे लागू करने का अपना काम तो पूरा कर दिया, मगर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इसे सख्ती व सही तरीके से

■ शेष पृष्ठ 3 पर

ताजा आदेशों से आई जीत की खुशबू

अवमानना के मामलों की सुनवाई के दौरान 23 अगस्त, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पांच-पांच राज्यों की सुनवाई शुरू की है। पहले पांच राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर व नागालैंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के श्रमायुक्तों को व्यक्तिगत तौर पर अपने-अपने राज्य की स्टेट्स रिपोर्ट लेकर तलब किया गया था। इस दौरान कोर्ट ने जहां श्रमायुक्तों को ठीक से काम न करने पर फटकार लगाई, तो वहीं उत्तराखंड के श्रमायुक्त को तो अदालत में न आने पर गिरफ्तारी के जमानती वारंट जारी किए गए। इस दिन हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन पांचों राज्यों के श्रमायुक्तों को अपने-

■ शेष पृष्ठ 3 पर

चेंजिंग वेज
Changing Ways
धर्मशाला, 05 सितंबर 2016

इंजीनियरिंग शिक्षा का टूटता तिलिस्म

भारतीय, खासकर मध्य वर्ग के लोग करियर के लिहाज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई को सुरक्षित मानते हैं। यही वजह है कि इंजीनियरिंग के कोचिंग संस्थानों में भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले दो वर्षों में जेईई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम हुई है। क्या यह इंजीनियरिंग की शिक्षा के प्रति मोहभंग को दर्शा रहा है?

ऐसा लगता है कि युवा अब शायद इंजीनियर बनने के सपने नहीं देख रहे, जो कुछ वर्षों पहले तक उनकी आंखों में पला करते थे। जिस सपने के लिए वे जीतोड़ मेहनत करते थे, उसे लेकर शायद अब उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगा है। इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित जेईई परीक्षा में आवेदकों की संख्या पिछले दो वर्षों में लगातार घटी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है।

जेईई भारत की कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह दो हिस्सों में आयोजित की जाती है। इसमें हर साल दस लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। मगर आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 55,000 छात्रों ने कम आवेदन किया, जबकि 2016 में 2015 की बनिस्बत लगभग 25,000 छात्रों ने कम फॉर्म भरे। हालांकि इससे पहले इसमें वृद्धि देखी गई थी। साल 2008 से हर साल जेईई परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 20,000 से लेकर 30,000 तक बढ़ती दिखी, मगर तस्वीर अब बदलने लगी है।

हालांकि शिक्षाविदों का कहना है कि ये आंकड़े सच्ची कहानी बयां नहीं कर रहे। यह संख्या तो आईआईटी संस्थानों में दाखिले का सपना देखने वाले आवेदकों का एक छोटा हिस्सा भर है। असल में यह समाज के नजरिये में आए बदलाव का एक आईना है। ऐसे शिक्षाविदों का मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने अभिभावकों के नक्शे-कदम पर चलने को तैयार नहीं और इंजीनियरिंग कोर्स से दूर भाग रही है, जबकि यह क्षेत्र लंबे समय से महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग की नजर में सुरक्षित दांव माना जाता रहा है।

हालांकि दूसरा सच यह भी है कि इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद अब आमतौर पर नौकरियां भी आराम से नहीं मिलतीं। अगर मिलती भी हैं तो आय पहले के मुकाबले उतनी आकर्षक नहीं रही। नतीजतन छात्र इससे दूर भागने लगे हैं। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल की पूर्व प्रधानाध्यापिका लता वैद्यनाथन का कहना है कि पारंपरिक राहों पर आगे बढ़ने की बजाय छात्र व अभिभावक अब ज्यादा से ज्यादा नए प्रयोग करना चाहते हैं।

इंजीनियरिंग कोर्सेज की ओर घटते रुझान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भी चिंता बढ़ा दी है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अगले महीने आईआईटी कौंसिल के साथ मीटिंग करने जा रहा है। संभव है कि इसमें इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर स्कूली शिक्षा में विज्ञान विषयों के प्रति छात्रों में अरुचि क्यों बढ़ रही है। स्कूलों में दाखिले से जुड़े आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कक्षा 11 में विशुद्ध विज्ञान की बजाय मानविकी विषयों में ज्यादा छात्र दाखिला ले रहे हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर छात्रों की रुचि अब अर्थशास्त्र और गणित जैसे विषयों की ओर बढ़ने लगी है, जो मानविकी के अंतर्गत आते हैं।

वैद्यनाथन इसकी वजह कुछ यूं बताती हैं। वह कहती हैं, 'जो छात्र बाद में एमबीए करना चाहते हैं, वे इंजीनियरिंग करके अपना अतिरिक्त एक वर्ष बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे में वे इकोनॉमिक ऑनर्स या कुछ और कर सकते हैं। असल में आज छात्र पहले की तुलना में कहीं ज्यादा रचनात्मक हो गए हैं। उनमें जबर्दस्त उद्यमी कौशल होता है, जो विषयों के उनके चुनाव में भी साफ तौर पर दिखता है।' वैद्यनाथन के इन विचारों से भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के एक पूर्व छात्र भी पूरी तरह सहमत हैं। एमबीए करने से पहले उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था। वह कहते हैं, 'अगर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद एमबीए किया होता तो निश्चय ही मैं अपना एक साल बचा लेता। यह काफी बहुमूल्य समय होता है।'

कोचिंग संस्थानों की राय कुछ जुदा है। वे मानते हैं कि छात्रों के घटते रुझान की वजह भारत में शिक्षा का गिरता स्तर है। देश में 3,000 से अधिक पंजीकृत तकनीकी संस्थान हैं, जिनसे हर साल करीब आठ लाख इंजीनियरों की फौज बाहर निकलती है।

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा में एलेन इंस्टीट्यूट चलाने वाले नवीन माहेश्वरी कहते हैं, 'शुरुआत में इंजीनियरों को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। यहां आने वाले छात्रों की संख्या में भी कमी आई है।' हालांकि आईआईटी कौंसिल इस तर्क को सिरे से खारिज करती है। आईआईटी कौंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्रा कहते हैं, 'इस परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र भागीदारी करते हैं, लिहाजा इस मामूली गिरावट का यहां कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा हमारे पास स्थानीय कॉलेज भी हैं, जहां छात्र दाखिला ले सकते हैं। वैसे, अगर छात्र मानविकी विषयों को चुन रहे हैं तो भला इसमें हर्ज क्या है? यह तो अच्छी बात है।'

बहरहाल, साल 2012 से जेईई परीक्षा दो भागों में आयोजित की जा रही है- मेन और एडवांस्ड। जेईई (मेन) में सफल होने के बाद छात्रों को केंद्र द्वारा वित्त-पोषित तकनीकी संस्थानों में दाखिला मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राज्य के इंस्टीट्यूट आदि ऐसे ही संस्थान हैं। वहीं जेईई (मेन) में सफल 1.5 से 2 लाख आवेदक ही जेईई (एडवांस्ड) में शामिल होने के योग्य माने जाते हैं। यह परीक्षा प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। इससे पहले, साल 2012 तक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आईआईटी-जेईई अलग-अलग आयोजित किए जाते थे। मगर 2013 के बाद व्यवस्था बदल दी गई है और अब इस नए पैटर्न पर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए छात्रों के दाखिले की दौड़ शुरू होती है।

दैहि

आईआईटी: कुछ खास तथ्य

- सभी आईआईटी को मिला कर एक समय में 60 हजार से ज्यादा छात्र नामांकित होते हैं
- आईआईटी की डिग्रियों को एआईसीटीई की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आईआईटी परिषद् के पदेन सभापति होते हैं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि छात्रों को इनोवेशन और रिसर्च की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, विंडोज और वॉट्सएप का आविष्कार नहीं किया, लेकिन कई भारतीय युवा इन सोशल एप को बनाने वाली टीम का हिस्सा थे।'

कोचिंग का बढ़ता कारोबार

बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए कोचिंग का धंधा पिछले एक दशक में खूब बढ़ा है। दस वर्ष पहले यह व्यवसाय करीब 10 हजार करोड़ रुपये का माना गया था। साल 2013 में एसोचैम ने एक सर्वे करके अनुमान लगाया कि यह बढ़ कर 23.7 अरब डॉलर का हो गया है। अब यह कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कोचिंग का धंधा 40 अरब डॉलर को भी पार कर गया है।

आईआईटी हैं पहली पसंद

साल 2015-16 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी-दिल्ली को दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में 179वां स्थान मिला है। इतना ही नहीं, आईआईटी देश के प्रतिष्ठित संस्थान माने जाते हैं, लिहाजा छात्रों को पहली पसंद आईआईटी ही होते हैं। जेईई परीक्षा के माध्यम से इसमें दाखिला मिलता है। यह दो हिस्सों में होती है। जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को ही आईआईटी में दाखिला मिलता है।

नौकरी के घटते अवसर

एस्पाइरिंग माईंड्स नेशनल इंप्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में देश भर के 650 से अधिक कॉलेजों से पास करीब 80 फीसदी ग्रेजुएट छात्र रोजगार के लायक नहीं थे। यह अध्ययन डेढ़ लाख से अधिक डिग्रीधारी छात्रों पर किया गया था। इसके अलावा भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जो बताती हैं कि 90 फीसदी से अधिक इंजीनियरिंग छात्र अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। जाहिर है, यह तस्वीर नए छात्रों को इंजीनियरिंग कोर्सेज से विमुख कर रही है।

अपने-अपने दोस्त

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होने के साथ ही इस महाद्वीप में दोस्ती के मायने बदलने लगे थे, क्योंकि पाकिस्तानी मदद की अहमियत खत्म होने लगी थी और जंग का अगला मैदान मध्य-पूर्व बनने लगा था। इसके बाद अनिश्चितता का एक दौर आया, या यूं कहें कि संभावना तलाशने का दौर, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन व ईरान बढ़ने लगी है। मगर हालिया घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि कौन-किसका दोस्त है? भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समझौता होना और दो अन्य बुनियादी समझौते- कम्युनिकेशंस ऐंड इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (सीआईएसएमओए) व बेसिक एक्सचेंज ऐंड को-ऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए) फॉर जीओ-स्पेटिकल इंटेलिजेंस पर सहमति बनने से दोनों स्थिति जल्द विस्फोटक हो सकती है। ऐसा दिखने भी लगा है। मसलन, अभी भारत की सियासत इसलिए गरम हो गई थी, क्योंकि भारतीय मीडिया में यह खबर आई कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका ने भारत को नए सबूत सौंपे हैं, जबकि जिन अखबारों ने यह खबर परोसा, उन्होंने किसी आधिकारिक स्रोत का खुलासा नहीं किया। बहरहाल, बन रहे

चुटकुले

लड़का : शादी करले मुझसे।
लड़की : क्यूं...
लड़का : मेरे पापा गांव के सबसे बड़े

आदमी हैं।
शादी के बाद लड़की को पता चला कि लड़के का बाप 105 साल का है !!!

आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं, यहां संग्रह किए गए महान विचारकों के हजारों कथन आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
-महात्मा गांधी

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी

एचआईवी पीड़ित की आत्मकथा

रीना ने होश संभाला तो पता चला वह एचआईवी पाजिटिव है

रीना 14 वर्ष की एक अनाथ बच्ची है, जो अपने दादा-दादी के साथ रहती है। इसका एक छोटा भाई भी है। वह और उसका भाई अपने दादा-दादी के साथ ही रहते हैं। रीना के माता-पिता का देहांत 6 साल पहले हो हो चुका है। तब रीना मात्र 8 वर्ष की थी। रीना की मां एचआईवी पाजिटिव थी। जब उसका टेस्ट, तब वो अत्यधिक बीमार हालत में थी। रीना के पिता का एचआईवी टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे।

मां के एचआईवी पाजिटिव आ जाने पर जब बच्चों का टेस्ट हुआ तो रीना भी एचआईवी पाजिटिव आई, जबकि उसका भाई एचआईवी नेगिटिव आया। इसी जांच के दौरान रीना की मां का भी देहांत हो गया। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा।

रीना के दादा-दादी एआरटीसी से दवाएं ले आते थे और रीना उन दवाइयों को चुपचाप खा लेती थी। जैसे-जैसे वह बड़ी होती गई वह अपने दादा-दादी से पूछने लगी कि वह किस चीज की दवाई खाती है। जबकि उसका भाई कोई दवाई क्यों नहीं खाता है अब रीना के दादा-दादी को भी उसको दवाई खिलाने को समस्या सामने आने लगी। जब वे एआरटीसी में दवाई लेने आए तो उनकी मुलाकात केयर एंड स्पोर्ट सैंटर के कर्मचारी से हुई। वह उन्हें सीएचसी में लेकर आ गए। यहां सीएचसी के काउंसलर ने रीना के दादा-दादी से बात की और उन्हें समझाने के बाद उनसे कहा कि वे अगली बार रीना को साथ लेकर आएं।

साथ में यह भी सुनिश्चित हुआ कि उसी दिन सीएमसी में बच्चों की स्पोर्ट-ग्रुप-मीटिंग भी की जाएगी। निर्धारित समय और दिनांक पर रीना अपने दादा-दादी के साथ मीटिंग में आई। पहले उसे सब बच्चों के साथ मिलया गया। फिर उन बच्चों के साथ बात हुई और सबने अपने-अपने बारे में बताया। तत्पश्चात सब बच्चों को एचआईवी के विषय में फ्लीप चार्ट्स प्रयोगों के माध्यम से बताया गया। अंत में जब सब बच्चे एचआईवी के विषय में जान गए तो उन्हें बताया गया कि वे एचआईवी के साथ जी रहे हैं। इसी के चलते उन्हें नियमित तौर पर दवाईयां खानी पड़ रहीं हैं।

उन्हें यह भी बताया गया कि उन्हें क्या-क्या और कब-कब खाना चाहिए। अब रीना भी समझ चुकी थी कि वह एचआईवी की दवा खा रही है। यह दवाई उसे निश्चित रूप से खानी ही है। अब जब भी रीना अपने दादा-दादी के साथ आती है तो केयर एंड स्पोर्ट सेंटर में जरूर आती है। रीना की दादी बताती है कि रीना ने दोबारा उनसे कभी नहीं पूछा कि वह किस चीज की दवाई खाती है।

पृष्ठ 1 के शेष

सोशल मीडिया ने...

राजनीति की एक छोटी से छोटी घटना पर डिबेट पर डिबेट करवाता नजर आता है, वह देश के लाखों प्रिंट मीडिया कर्मियों की आवाज को बुलंद करने में असफल साबित हुआ है। हालांकि राज्यसभा चैनल में जरूर एक बार इस संबंध में परिचर्चा देखने को मिली, मगर यहां भी पत्रकार व मालिकों का पक्ष रखने के लिए वहीं लोग मौजूद रहे, जो मालिकों के साथ बैठकर मलाई खाने को मशहूर थे।

सैकड़ों पत्रकारों ने...

रखे हैं। साथ ही उत्पीड़न के मामलों पर भी जांच रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में रखने को कहा है। हालांकि कोर्ट के आदेशों के बावजूद श्रम विभाग अभी तक संतोषजनक कदम नहीं उठा पाया है, मगर कोर्ट के कड़े रूख ने अब श्रम विभाग को पूरी तरह हरकत में ला दिया है।

दोगुने से ज्यादा...

में ला सकती है। इस वेतन को केंद्रीय कर्मियों के वेतन की तरह ही व्यवस्थित किया गया है। जहां बेसिक में मौजूदा आर्थिक हालात व समाचार पत्र स्थापना की कुल आय के आधार पर पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, वहीं वेतन सम्मानजनक बनाने के लिए वैरिएबल पे की भी व्यवस्था है। डीए का निर्धारण भी साल में दो बार करने की व्यवस्था है।

डीए की गणना कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के तहत निजी उद्योगों की मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक है। वहीं बेसिक व वैरिएबल पे को जोड़कर एचआरए व टीए का निर्धारण शहरों की स्थिति के अनुसार किया गया है। देर रात तक काम करने वालों के लिए रात्रि भत्ता भी है।

श्रम निरीक्षकों तक...

लागू करवाने के लिए श्रम निरीक्षकों को ट्रेनिंग तक नहीं दी है। इस कारण श्रम निरीक्षक वेज बोर्ड के तहत लागू वेतनमान की गणना की जानकारी तक नहीं रखते। विभाग वेज बोर्ड के तहत सैलरी को गणना ही नहीं जानता तो, एक्ट के तहत मिली शिकायत का निपटरा कैसे करेगा।

ताजा आदेशों से...

अपने राज्यों में मौजूद अखबारों के कर्मियों को वेजबोर्ड दिए जाने के साक्ष्यों की रिपोर्ट तलब की है। वहीं इन्हें स्वयं कार्रवाई करने की अथारिटी देते हुए कुछ दिशनिर्देश भी जारी किए हैं। अगली तारीख 04 अक्तूबर रखी गई है। इसके बाद से श्रमायुक्तों ने अपने-अपने राज्यों में अखबारों के दफ्तारों में छापेमारी करके सही जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई के चलते अब संघर्ष कर रहे कर्मियों को जीत की महक आने लगी है।

पत्रकारों का संगठित ना होना बड़ी कमजोरी

अखबारों को सत्ता व व्यवसाय के शिखर पर पहुंचाने वाले पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मियों को उनका हक ना मिल पाने की बड़ी वजह उनका संगठित ना होना है। खासकर पत्रकार वर्ग में खुद को बड़ा समझने की ऐसी भावना होती है, जो उनको एक-साथ नहीं आने देती। हर परिस्थिति में खुद को बाकियों से अलग रखकर आगे निकलने की होड़ ने उसे वेतन की लड़ाई में अकेला व देश के निजी उद्योग का सबसे कमजोर कर्मचारी साबित किया है। इसी वजह से केंद्र ने पत्रकार व गैर पत्रकारों की भलाई के लिए वेतन आयोग को जिंदा रखा है। इसके बावजूद पत्रकार अपना हक लेने में कमजोर ही साबित हुए हैं। जहां तक गैर पत्रकार साथियों की बात है, तो वे अपने तकनीकी कौशल के माध्यम से अपने काम में लगे रहते हैं, उनमें आपसी तालमेल व एक-दूसरे का साथ देने का कौशल भी गजब का है। इसी के चलते अब तक की लड़ाई में पत्रकारों की उपेक्षा गैरपत्रकार साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए अखबार मालिकों की नींद हराम कर रखी है।

वेजबोर्ड लागू होने से बदलेगी पत्रकारिता की सूरत

मजीठिया वेजबोर्ड *जहां अखबारों को नोट छापने की मशीन और तंत्र पर दबदबा बनाने का जरिया समझने वाले पूंजीपतियों के लिए गले की फांस बना है, वहीं इसके फायदे भी सामने आएंगे। इससे जहां अखबारों के कर्मियों की माली हालत सुधरेगी तो वहीं छोटे-मंझोले अखबारों को उठने का मौका मिलेगा। बड़े अखबारों की भारी-भरकम देनदारियों के चलते वह बात तो तब मानी जा रही है कि अब अखबारें रद्दी की कीमत पर नहीं बिकेंगी। उत्पादन लागत से काफी कम बिकने वाली अखबारों की कीमतों में दोगुना बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ईमानदारी से पत्रकारिता के उसूलों को आगे बढ़ाने वाले छोटे मीडिया हाउसों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक उन्हें लागत से काफी कम कीमत पर अखबार बेचने के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे वे एक सीमित दायरे में ही बंधे रह जाते हैं।*

रोजमर्रा काम आने वाल ये चीजें बन सकती हैं खतरा

कुछ चीजें हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हो चुकी हैं कि हम उनसे होने वाले नुकसानों को पूरी तरह भूल चुके हैं। रोज काम आने वाली इन चीजों से हमें थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि ये बन सकती हैं बड़ा खतरा

मोबाइल

सेलफोन का उपयोग जिस तरह से बढ़ रहा है उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। इनसे रेडियोएक्टिव एमिशन्स निकलते हैं और ये कैंसर का कारण बनते हैं। कैसे बचा जाए, इस पर खोज जारी है लेकिन तब तक बनती कोशिश ज्यादा से ज्यादा दूरी ही रखी जा सकती है।

नमक

भारतीयों के खाने में यूं भी ज्यादा ही नमक होता है। और सॉल्ट-सोडियम दिल की बीमारियों और स्ट्रोक की आशंका को बढ़ा देता है।

एअरफ्रेशनर्स

एअरफ्रेशनर्स में एस्पार्टेम, नियोटेम और अन्य डेंजरस केमिकल्स पाए जाते हैं। इन सभी केमिकल्स से हाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की तकलीफें हो सकती हैं।

ककड़ी

ककड़ी की कड़वाहट की वजह है कुकुरबीटासिन। ककड़ी को कोनों से काटते हैं तो कुकुर्बिटासिन को पूरी ककड़ी में फैलने से रोक देते हैं। अगर ये ककड़ी पर लगा रह जाता है तो पेट दुखेगा क्योंकि इससे पेट में कीड़े पड़ सकते हैं और बीमार कर सकते हैं।

मैदा

पास्ता और सफेद ब्रेड में मौजूद मैदा बीपी को बढ़ा देता है। टाईप 2 डायबिटीज का भी खतरा इनसे बना रहता है। आटा अच्छा विकल्प है, मैदा से बचा जाना चाहिए।

बैठक

लगातार तीन घंटे से ज्यादा बैठने से हेल्थ रिस्क बढ़ जाती है। बैठे रहने से ऑर्गन डैमेज, डिलेड रीएक्शंस, मसल डीजनरेशन जैसी चीजें हो सकती हैं। हर आधे घंटे में दो मिनिट के लिए जरूर उठें। ऐसा करने से आप रिस्क काफी हद तक कम कर लेते हैं।

नींद

कम सोने से वजन बढ़ जाता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि आठ घंटे से ज्यादा नींद लेने पर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। छह से सात घंटे की नींद को ही अभी तो ठीक समझा जा रहा है, वैसे इस पर शोध जारी है।

माइक्रोवेव ओवन

रेडिएशन लीकेज अगर इनमें होता है तो इससे बर्थ डिफेक्ट होते हैं, कैंसर हो सकता है और इम्यून सिस्टम वीक भी हो सकता है।

सॉफ्ट ड्रिंक्स

सबसे बुरा तो यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वजन बढ़ा देते हैं। इनमें हर तरह के आर्टिफिशियल कंटेंट और प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनसे त्वचा और दांतों को भी खासा नुकसान होता है।

टूथ पेस्ट

जो पेस्ट हम दांतों को साफ करने के लिए यूज करते हैं उनमें ट्रिक्लोसन होता है। इससे दिल की बीमारियां होती हैं।

बेकार पड़े सामानों से ऐसे बनाएं आकर्षक जूलरी

घर, दफ्तर या किसी भी जगह बेकार पड़े सामानों को अब फेंकने के बजाए, उसका विभिन्न तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बेकार पड़े सामानों से खुद ही आकर्षक आभूषण बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बजट की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसे स्वयं ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है।

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ज्वेलरी डिजाइन और टैक्नोलॉजी के छात्र आपको घर में पड़े बेकार सामान जैसे पेपर, प्लास्टिक, तार, मोती और बटन की मदद से अद्भुत और रचनात्मक प्रक्रिया की ज्वेलरी बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ आईएनएसडी बेकार चीजों को लेकर उसका इस्तेमाल कराना सीखाता है।

1 पेपर ज्वेलरी/ब्रेसलेट

■ एक पुराना अखबार लेकर स्केल की मदद से पेपर के सबसे ऊपरी भाग पर अल्टरनेटिव इंच का उपयोग कर निशान लगा लें। इसी तरह, पेपर के तल पर यानी नीचे की ओर आधे इंच के अंतराल पर निशान लगायें। ऊपर के अल्टरनेटिव निशान से नीचे के निशान तक (कोण की तरह) लाइन बना लें।

■ अब इस कोण को काट लें और दो रंग की मदद से पेपर पर अल्टरनेटिव रूप से रंग करें। सूखने के बाद, इसे विस्तृत से संकीर्ण तक रोल बना लें और और गोंद की मदद से इसके टिप को सुरक्षित करें। आप इसे पूरा करने के लिए रोल पर पारदर्शी नेल पेंट लगा दें। इसी तरह आप और बीड्स (मोती) भी बना सकते हैं।

■ ब्रेसलेट बनाने के लिए, एक इलास्टिक धागा लें और मोतियों को एक के बाद एक डालकर और अंत में दोनों कोनों को टाई करके बंद कर दें।

2 साटन रिबन पर्ल नेकलेस

■ एक रिबन लेकर उसे दो हिस्सों में फोल्ड कर दें। फिर फोल्डेड अंत में एक गांठ बनायें। एक साइड का किनारा लेकर उस पर गांठ बना लें।

■ अब सिरों में से एक के माध्यम से मोती डालना शुरू करें और दूसरी गांठ से मोती को सुरक्षित करें। अब अन्य साइड को किनारा लेकर उस पर गांठ बना लें। अब इसमें मोती को जोड़ें और गांठ की मदद से इसे सुरक्षित कर लें और ऐसा ही दूसरी तरफ से भी करें। अब दोनों सिरों को एक साथ पकड़कर उसमें गांठ बांध दें।

■ अब जहां से मोती डालना शुरू किया था उसी अंत में गांठ बना लें। बस गांठ के नीचे एक मोती जोड़ कर इसे फिर से सुरक्षित करने के लिए एक गांठ बना लें। एक और मोती जोड़ कर गांठ बना लें। दूसरे किनारे पर एक मोती जोड़ें। दोनों सिरों को एक साथ रखने के लिए एक गांठ बना दें।

■ इसे तब तक करें जब तक आप इच्छित आकार नहीं पा लेते।

■ रिबन के दो और हिस्से लेकर उसे दो टुकड़ों में फोल्ड कर लें। नेकलेस के दोनों साइट पर इस साटन रिबन जोड़ दें, इस तरह आपका साटन पर्ल नेकलेस तैयार है।

3 सेफ्टी पिन ब्रेसलेट

■ दो से तीन पैकेट सेफ्टी पिन और अलग-अलग रंगों के मोती ले लें। अब पिन को खोलकर, हर रंग के मोती को एक-एक करके उसमें डालें और मोती को सुरक्षित रखने के लिए पिन को बंद कर दें। ऐसा सभी पिनों के साथ करें।

■ अब पिन की आंख के माध्यम से सबसे पहले इलास्टिक तार और अगले पिन के नीचे के छेद से वैकल्पिक रूप से डालें। एक बार जब सभी पिन के माध्यम से तार गुजर जाये तो इसे बाहर ले लें और वैकल्पिक रूप से पिन के दूसरे छोर के माध्यम से डालें जैसे की आपने पहली जगह में किया था।

■ अंत में इलास्टिक के दोनों सिरों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त तार को काट दें। हमारा सेफ्टी पिन ब्रेसलेट तैयार।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/संपादक : संदीप परमार द्वारा वीपीजे सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हि से प्रकाशित एवं इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235315 Mail : badaltirahain@gmail.com